greetings and best wishers to the President, the Parliament, the Government and the friendly people of the Republic of Italy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS (Contd.)
Answer to Q.No. 41—Contd,

श्री गुलाम नबी आजाद: माननीय अध्यक्ष जी, हमारा ध्यान राजस्थान और जैसलमेर की तरफ इतना है कि कल ही मैं 25 तारीख को जैसलमेर जा रहा हूं और मैंने वहाँ मीटिंग रखी है..(व्यवधान)..कल मैंने वहा मीटिंग रखी है सब आफिसेस के साथ

श्री चतरानन मिश्र: ऐज ए टूरिस्ट जा रहे हैं?

श्री गुलाम नबी आजाद: नहीं, सब अफसरों के साथ मीटिंग करनी है। जहां तक राजस्थान का संबंध है, राजस्थान की तरफ हमारा सबसे ज्यादा ध्यान है क्योंकि आज भी हिन्दुस्तान में अगर किसी एक राज्य में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं तो उसमें राजस्थान का पहला स्थान है। इसलिये उसके इग्नोर करने का सवाल पैदा नहीं होता है और वह राज्य गोल्डन ट्रायेंगल में भी आता है। पिछले साल भी हमने कई नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवल और ट्रड की कॉन्फ्रेंसेज राजस्थान में की हैं। इसलिये यह कहना कि हम वहां ध्यान नहीं दे रहे हैं, यह उचित नहीं होगा। हम पूरा ध्यान दे रहे हैं।

महोदय, इसके साथ-साथ जहां तक जैसलमेर का संबंध है, वहा डिफेंस का एयरपोर्ट है, इसलिये हम वहां टर्मिनल विल्डिंग नहीं बना सकते। तो भी नेशनल एयरपोर्ट ऐथोरिटी ने एक छोटी टर्मिनल बिल्डिंग इस दफा बनाई है और हमने एक-दो प्राइवेट एयरलाइन वालों को कहा है और उन्होंने मान लिया है कि मार्च से वे वहां रेगुलर फ्लाइट्स चलाएंगे।

Boycott of S.C. Officers in Air India

*42 SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether any letter was received by the Government of India form a member of the National Commission for SCs and STs in September, 1993, regarding complaint of boycott of SC officers working in inflight services Department in Air-India, Bombay during September, 1993;

(b) whether any Government Agency had intervened in the matter; and

(c) what disciplinary action is proposed against the guilty officers under the privisions of Model Standing Order, the SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and Protection of Civil Rights Act, 1955?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (c) Yes, Sir. The matter was referred to Air India. The management of Air India have discussed the matter with representatives of Air Corporations Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employee Association. It was explained to them that the directive in question had already been withdrawn by the Air India Cabin Crew Association on 19.7.1993 at the intervention of Air India management. At the request of Air Corporations Scheduled Caste and Scheduled Tribe Employees Association, Chairman and Managing Director, Air India is examining the issue in the light of the provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 and the Protection of Civil Rights Act, 1955.

श्री आनंद प्रकाश गौतम: सभापति महोदय, आज हम विश्व में मानवाधिकारों के संरक्षण की वकालत करते हैं लेकिन मुझे बड़े अफ्सोस के साथ कहना पड़ता है कि 47 वर्ष हो गये हमारे देश को आजाद हुये लेकिन आज भी भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारी हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, असामाजिक व्यवहार हो रहा है। छुआछूत और जाति के नाम पर उनका बहिष्कार किया जा रहा है। यह बहुत शर्मनाक बात है और अफसोस की बात है। माननीय मंत्री जी से स्पष्ट पूछा गया था जो सवाल था उसमें कि क्या इस प्रकार की कोई सूचना आपने अनुसूचित जाति और जनजाति के कमीशन के द्वारा प्राप्त की हैं। लेकिन उस के बारे में आपने कुछ जिक्र नहीं किया।

श्री गुलाम नबी आजाद: मैंने "यस सर" कहा, उसका यही अर्थ है, उसी से मैंने शुरू किया।

श्री आनंद प्रकाश गौतम: लेकिन उसके संबंध में कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक तो आपने अपने स्टेटमेंट में यह कहा कि एयर इंडिया के केबिन-क्रू ऐसोसिएशन

द्वारा प्रश्नगत निर्देश वापस ले लिया था। मैं जानना चाहूंगा कि यह प्रश्नगत निर्देश जो आपने बताया है वह क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध था, हमारे देश के सिविल अधिकारी के विरूद्ध था? वह क्या निर्देश दिया गया था केबिन-क्रू ऐसोसिएशन द्वारा और वह किसके द्वारा दिया गया था और कितने लोग थे जो इस प्रकार का निर्देश देने में शामिल थे?

श्री गुलाम नबी आजाद: सर, जहां तक निर्देश का सवाल है, मैं उस को पढूंगा- The Air India Cabin Crew Association issued a directive against Mr. Praveen Gangorde. and I quote the directive: "Effective Wednesday, the 7th July, 1993, all cabin crew members are hereby directed not to approach Mr. Praveen Gangorde, Assistant Crew Scheduling Officer, for any purpose of scheduling nor for any other specific matter concerning flights and allied duties." As I have already said, the Air India Cabin Crew Association withdrew this directive at the management's intervention on 19th of July. The directive was issued on 5th of July and this was withdrawn on 19th of July at the intervention of the management. On 29th of October, the Air India Corporation Scheduled Tribes Employees Association raised the issue at the inter-regional meeting held by the Director, Human Resource Development, Air India. Another meeting was held on 22nd of October, and in this the SC/ST Association was informed, where the position was explained, that the directive against Mr. Gangorde was in the capacity of Officer of the Inflight Services Department and not as a member of the SC community or as Secretary of the SC/ST Association.

श्री संघ प्रिय गौतम: इसको नापने का पैमाना क्या है? What is the intention behind it?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Let me complete it. However, according to the Air Corporation SC/ST Employees Association, the Chairman, National Commission for *SC* and ST, Government of India, had explained to the Commissioner of Police, Bombay, making a special reference to the SC/ST Prevention of Atrocities Act, 1989. Sahar Police Station, Bombay Airport, is seized of the matter and the investigation is in progress. Meanwhile, the issue whether the directive, issued by the Air India Cabin Association against Mr. Gangorde, violated the provisions contained in the SC/ST Prevention of Atrocities Act is being examined by the management separately.

श्री आनन्द प्रकाश गौतम: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह स्पष्ट किया है कि वह निर्देश जाति के आधार पर नहीं बल्कि एक अधिकारी के खिलाफ थे, उनका बहिष्कार किया जा रहा था। मैं जानना चाहता हूं कि बहिष्कार के पीछे उसका मंतव्य क्या था? वह सब लिखा-पढ़ी में नहीं आया है लेकिन व्यवहार में अवश्य आया होगा। उसका मंतव्य स्पष्ट किया जाना चाहिए।

दूसरी बात उसके साथ ही साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि यह एक प्रकार से आपराधिक कार्य था जिसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्यवाही की जानी चाहिए थी। मैं इस संबंध में मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मिस्टर प्रवीन गंगोर्डे द्वारा कोई एफ.आइ.आर. दर्ज कराई गई या विभाग द्वारा कोई लिखा पढ़ी की गई कि यह आपराधिक कार्य था और लिखा पढ़ी में निर्देश आया है तो विभाग ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

मेरा यह मानना है कि इस मामले को छिपाया जा रहा है और दबाया जा रहा है जांच के नाम पर उसकी सीधे-सीधे पुलिस में जांच की जानी चाहिए। विभाग की जांच का कोई मामला इसमें बनता नहीं है।

श्री गुलाम नबी-आजाद: मैंने जैसा पहले कहा मैंने सिर्फ इसका आपरेटिव पार्ट ही पढ़ा कि एयर इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन। इसके खिलाफ कोई कुछ कहने के लिए बहुत लम्बा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, तकरीबन डेढ़-दो पेज का यह है। इसमें उन्होंने लिखा है कि इसका जो काम है वह केबन क्रू की ड्यूटी लगाना है और उसके आधार पर इनकी एसोसिएशन की मीटिंग हुई और उसमें कहा है कि ड्यूटी लगाते-लगाते जो हमारा तय हुआ था किस तरह से ड्यूटी लगानी चाहिए उसको वायलेट करता है और केबिन क्रू के साथ इनक जो बिहेवियर है वह अच्छा नहीं है, इंटेगनाइज करता है केबिन क्रू को। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैकि हम उनका कोई आर्डर नहीं सुनेंगे। अब जैसा आपने कहा यह प्रिवेंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट में आता है या नहीं इसके लिए मैंने पहले ही कहा कि दो जगह, एक तो मैनेजमेंट भी इसके देख रहा है कि उसमें आता है या नहीं और दूसरे शहर पुलिस भी इसको देख रही है। जहां तक इन्होंने इन्वर्टेड कोमाज में आर्डर किया है उसमें इनका खाली काम लिखा है। किसी कास्ट, किस जाति और किस धर्म के बारे में उसमें बिल्कुल नहीं लिखा है। उन्होंने कहा एक ए आफिसर हम उनका आर्डर नहीं सुनेंगे। इसलिए हमारे डिपार्टमेंट के लिए ऑन फेस वेल्यू यह फैसला ना कि उनके मन में क्या था यह बड़ा मुश्किल

है। उसके लिए मैनेजमेंट अलग से कार्रवाई कर रहा है और पुलिस अलग से कार्रवाई कर रही है। जब इन दोनों का नतीजा आयेगा तो उसकी बात मैं आनरेबल मेम्बर को बता दूंगा।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम: मैं यह जानना चाहता हूं कि एसोसिएशन को क्या इस तरह का निर्देश पारित करने का कोई अधिकार है? यदि अधिकार नहीं है तो वह गैर अधिकार कार्यवाई की है उन्होंने? अगर की है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

श्री गुलाब नबी आजाद: एसोसिएशन तो चार-चार महीने जहाज बंद कर देती है। आप कहते है कि अधिकार नहीं है। अधिकार की बात करेंगे तो पूरे मिनिस्टर का ही बहिष्कार करेंगे तो इसमें उनको कौन रोक सकता है। लेकिन जब इन्होंने बहिष्कार किया उसके बाद मैनेजमेंट ने इन्टरवीन किया और 12 दिन के अंदर-अंदर यह डायरेक्टिव वापस लिया गया।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम: मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लोगों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई की है या नहीं या उन्हें शाबाशी दी है?

श्री गुलाब नबी आजाद: जो एसोसिएशन है वह तो रोज बहिष्कार करती रहती है। आज इधर कर रही है तो कल उधर कर रही है। यह कोई नयी चीज नहीं है।

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Sir, actually the whole thing is being approached technically. What was the reason for issuing that circular? The Minister has not explained this. If there was an apprehension in the minds of the SC/ST people, there must have been a reason for it. By reading only the operative portion we cannot reach the idea behind it. If there was an apprehension in the mind of the Association, there must have been something behind it. The matter was referred to the National Commission, and the Commission Chairman has written about it. If what the Minister has read out before the House is correct, there was no necessity for the intervention of the National Commission Chairman in it. So I request the hon. Minister just to go behind the circular and also the technical, operative portion. There must be something behind it By just reading the technical, operative portion, we cannot know the idea. If it has been withdrawn, what is the reason? This shows that it was not a regular circular, that it was irregular or that it was not proper. So, I request the hon. Minister to go deep into the matter. If there is anything untoward or illegal or atrocious, kindly take action.

SHRI GHULAM NABIAZAD: Sir, I have already said that the management has already......

MR. CHAIRMAN: Action is being taken.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : मैं यह जानना चाहता हूं कि दर्ज फेहरिस्त जातों, कबीलों और माइनोरिटीज के साथ बद्सलूकी करने वालों के साथ सख्ती से निपटने के लिए मौजूदा कवानीन में तरमीम करके सजा की मिकदार बढ़ाने पर क्या सरकार गौर करेगी? और इंतजामिया अगर पहले ही नजर में मुजरिम को पा जाय तो क्या उसकी रोशनी में सरकार उसको मुअत्तल करेगी? यह इसलिए कि क्योंकि आमतौर पर यह होता है कि मौजूदा कानून के तहत की बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का जो इंतजाम आपने किया है, वह इसलिए मुअस्सर नहीं हो पाता क्योंकि बदसलूकी करने वाले और उनके खिलाफ ऐक्षन लेने वाले दोनों आमतौर पर अपने आप को बड़ा ही सुपीरियर समझते है और ऊंची कास्ट से ताल्लुक रखते है और इसलिए एक मुजरिम दूसरे मुजरिम को आसानी से माफ कर देता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि दर्ज-फेडरिस्त जातियों, कबीलों और अकलियतों के साथ यह जो बदसलूकी का तरीका मुसलसल जारी है, किसी न किसी शक्ल में जारी है तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इससे कैसे निपटेगी और कैसे यकीनी बनायेगी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा और अगर होगा तो ऐसें लोगों को इबरातनाक सजा दी जायगी। ....(व्यवधान)

† [illegible]

†Transliteration in Arabic scrim.

SHRI S. JAIPAL REDDY: I would like to know whether the Minister has been able to follow Urdu.

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: उर्दू के सवाल का तरजुमा समझ में न आये तो वह भी बतायें। मे उर्दू के इंटरप्रेटर की मांग कर रहा हूं क्योंकि मेरी बात इन लोगों की समझ में नहीं आती है। (व्यवधान)

†مولانا عبید اللہ خان اعظمی: اردو کے سوال کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ بھی بتائیں۔ میں اردو کے انٹرپریٹر کی مانگ کر رہا ہوں کیونکہ میری بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ......مداخلت

श्री अजीत जोगी: बहुत अच्छी तरह से समझ आता है।

श्री गुलाम नबी आजाद: मौलाना साहब, अगर कायदे और कानून बनाने से और तरमीम करने से मुल्क के निजाम में कोई फर्क आता तो जितने कायदे और कानून बनाये गये हैं, उनसे हिन्दुस्तान में आज न कोई जुर्म होता, न कोई मरता, न जख्मी होता, न दंगे होते और न फसाद होते। इसलिये मेरा इलाज बजाय उसमें कवानीन में तरमीम लाने के हम अपने जेहन, हम अपने दिमाग और अपने दिल को साफ करें तो यह खुद-ब-खुद ठीक हो जायेगा।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी: जेहन साफ नहीं हो रहे हैं तो हम इस बात को मान लें कि कानून जो है वह बिल्कुल बेकार है। जेहनों को साफ करने के लिये ही कानून का डंडा चलाया जाता है, मगर वे लोग अपनी ताकत का डंडा गैर-कानूनी तौर पर चला कर अनुसूचित जाति और जन-जातियों को तबाह करते हैं- आपका कानूनी डंडा चलाने के बजाय। इसलिए हमको यह इखलाखी सबक मत सुनाइये। इखलाखी सबक पढ़ने के लिये लोग तैयार नहीं हैं। आप कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई करेंगे आप यह जरूर बातयें? .....(व्यवधान)

†مولانا عبید اللہ خان اعظمی: ذہن صاف نہیں ہو رہے ہیں تو ہم اس بات کو مان لیں کہ قانون جو ہے وہ بالکل بیکار ہے۔ ذہنوں کو صاف کرنے کے لئے ہی قانون کا ڈنڈا چلایا جاتا ہے۔ مگر وہ لوگ اپنی طاقت کا ڈنڈا غیر قانونی طور پر چلا کر انوسوچت جاتی اور جن جاتی کو تباہ کرتے ہیں۔ آپ کا قانونی ڈنڈا چلانے کے بجائے۔ اس لئے ہم کو یہ اخلاقی سبق مت سنائیے۔ اخلاقی سبق پڑھنے کیلئے لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ کا قانونی ڈنڈا چلانے کے بجائے اس لئے ہم کو یہ اخلاقی سبق مت سنائیے۔ اخلاقی سبق پڑھنے کے لئے لوگ تیار نہیں ہیں۔ آپ قانونی طور پر کیا کاروائی کریں گے۔ آپ یہ ضرور بتائیں۔ .....مداخلت

MR. CHAIRMAN: I have called another Member. I have called Mr. Mishra. *(Interruptions)* Please sit down.

श्री चतुरानन मिश्र: सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो यह कहा कि उन्होंने यह कहकर कार्यवाही नहीं की थी कि वे शैड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि जितनी भी अट्रोसिटीज हरिजनों पर हो रही है या महिलाओं पर हो रही हैं, उनके नंगा भी किया जा रहा है तो यह कहकर नहीं की जा रही है कि आप शैड्यूल्ड कास्ट के हैं। यह तो क्राइम है, जो यह कहकर वह करें, तो ऐसा उन्हें करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यह कोई डिफेंस नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात की अपने स्तर पर जांच करायें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी जांच करायेंगे कि किस परिस्थिति में ऐसा किया गया? क्योंकि सरकार, आपने ठीक ही कहा कि सरकार, संसद और संविधान सभी उनको संरक्षण देना चाहते हैं, उनको बराबर का अधिकार देने के लिए संरक्षण देना चाहते है तो एक ऐसी एसोसियेशन कौन सी है जो इसको नहीं करती है? अगर 12 दिन के बाद उसने ऐसी कार्यवाही की है कि अपना वापस लिया है तो उसका रिकग्निशन तो आप छीन सकते है यह बात नहीं है आप नहीं कर सकते।....(व्यवधान) .... अगर आपके बाजू में यह ताकत नहीं है तो राज मत चलाइये, दूसरे कोई काम कीजिये, बहुत से धंधे हैं इस मुल्क में उनको आप कीजिये। सभापति महोदय, अगर किसी एक गांव में ऐसा कुछ हो जाता है तो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक हायली एजूकेटेड पर्सन और वहां पर यह बात हो तो पूरा सदन इस पर लज्जित है जो इस तरह की घटना हुई। तो इसकी क्या आप अपने स्तर पर जांच करायेंगे और उन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे और अगर जरूरत हो तो क्या एसोसियेशन को डीरिकग्नाइज्ड भी करेंगे?

श्री गुलाम नबी आजाद: मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं कि उन्होंने इस आधार पर किया या नहीं किया। मैंने यह कहा कि मैनेजमेंट ने उस वक्त उनको राजी करने की कोशिश की। जो डाइरेक्टिव हैं

†Transliteration in Arabic script.

उनमें इस तरह का कोई शब्द नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे ऐसा लगे कि ऐसा धर्म या जाति के नाम पर किया जाता है। क्योंकि डाइरेक्टिव उनकी आफिशियल कैपेसिटल के खिलाफ था।

श्री अजीत जोगी: इस घटना को आठ महीने हो गये हैं। इतनी देर में जांच हो जानी चाहिये थी यह इतनी बड़ी गंभीर घटना है। इसलिए लिये एक समय सीमा तय कर दीजिये आप इतने दिनों में यह जांच करा देंगे। (व्यवधान)

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, my question was whether from his level......

श्री अजीत जोगी: एसोसियेशन कहती है कि हमने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया और दूसरे कह रहे है उन्होंने हमको चमार कहकर बुलाया। इसकी जांच कर लीजिये। 8 महीने लग गये है (व्यवधान)

SHRI GHULAM NABI AZAD: If you allow *me....(Interruptions)*.....

श्री अजीत जोगी: एक समय अवधि तय कर लीजिये। सदन को आश्वासन दीजिये कि आप 15 दिन के अन्दर इसकी जांच पूरी कर लेंगे (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I have not allowed you to speak.

SHRI AJIT P.K. JOGI: It is a very serious matter.

गांव में बहिष्कार होता है (व्यवधान) एयर इंडिया, जिस संस्था में लोग ज्यादा तनख्वाह पाते है, वह लोग भी बहिष्कार कर रहे है (व्यवधान) जांच कर के बात दें (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Let the Minister answer.

SHRI CHATURANAN MISHRA: It is a very serious matter...... *(Interruption)*.....

SHRI GHULAM NABI AZAD: Unless I read out the whole letter...*(Interruption)*...Let me read out the whole letter. Then, it would be better. This is creating a problem. I have not been able to read out the letter.

MR. CHAIRMAN: Wherefrom is this letter?

SHRI GHULAM NABI AZAD: This is from the Air India Cabin Crew Association, Sahar, Bombay, information bulletin-cum-directive, dated the 5th July, 1993. It says and I quote: "Dear Members, you are aware that due to the active participation of Air India Cabin Crew Association representative, the system of self-assignment in scheduling has been evolved in order to have equitable flying for all categories of cabin crew. The implementation and success of it was solely due to the cooperation extended by all of you and also because of the support extended by all the scheduling officers. However, after a considerable length of time, after the system was introduced, one Mr. Parveen Gangorde who was the Operation Assistant at the CCMCU was. promoted and transferred to cabin crew scheduling section and was entrusted with the assistant flight purser scheduling along with two other officers." This is the letter from the officers to their members:—

"You are all aware of the notriety of Mr. Gangorde and his rude and arrogant behaviour towards vast majority of cabin crew. This aspect had been brought to the attention of the management by many of you at various times. But despite this he continues to maintain the same behaviour as of date."

"On 2nd July, 1993 about 7 assistant flight pursers reported to us that Mr. Gangorde had been cursing and antagonising them in various ways when they came to bidding their flights. The above attitude of Mr. Gangorde was we believe has been in vogue for quite sometime though it was brought to our attention only on 2nd of this month. Immediately the office bearers of the association confronted with Mr. Gangorde and enquired about such complaints. Mr. Gangorde was totally negative and uncooperative and he was attempting to confront with a view to obstruct and scuttle this fair system of crew scheduling ....*(Interruption)* ....You must know the fact, you must know why it has been done. "Due to the present attitude of Mr. Gangorde, in view of the attempts to scuttle the system of scheduling, the association is of the firm opinion that Mr. Gangorde should not be involved in any matter concerning cabin crew especially scheduling. We, therefore, are left with no option but to direct our members as under.

"Effective Wednesday, the 7th July, 1993 all cabin crew members are hereby directed not to approach Mr. Gangorde, assistant crew scheduling officer for any purpose of scheduling nor for any other official matters concerning flight and allied duties."

That is why I said in the beginning ...*(Interruptions)*...

SHRI AJIT P.K. JOGI: Will you please read out the letter written by the SC/ST Association also?

SHRI GHULAM NABIAZAD: As I said in the beginning this is a fight between the officers and the Association. On face value this should not *be...(Interruptions)...*

SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Mr. Minister, you have read out one letter. You should also read out the other letter.

SHRI AJIT P.K. JOGI: There is a complaint made by the SC and ST Association. You should read out that letter also. Let the House know what their version is. What you have read out is only one side of the story.

MR. CHAIRMAN: Mr. Jogi, I allowed you to put a question. I will allow you to put a question. Mr. Jogi, I will allow you.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, I wanted to know from the Minister whether he would inquire into it personally. The Minister should, at his level, inquire into the matter. Is he going to do so or not?

SHRI GHULAM NABI AZAD: I have already said it in English, in Hindi and in Urdu also, that the Chairman of Air India is already looking into it. *(Interruption).*

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, it has already taken more than the sufficient time.

SHRI GHULAM NABI AZAD: And a case is registered in Sahar and the police is also going into it.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I am not asking about the court case or the police case. My question is very simple. I say that since the Air India authorities have taken more time than desirable, the Minister should, at his level, inquire into the matter and do justice to the workman. This is my point. He should tell us something about this.

SHRI AJIT P. K. JOGI: Sir, I am putting a question.

MR. CHAIRMAN: I will ask the Minister to answer that also.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, I have put my question. You have to protect us. You ask him to answer it. Will he look into the matter? That was my simple question.

MR. CHAIRMAN: The Member has put a question whether the Minister is instituting an inquiry himself.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, I have already received a letter from...*(Interruptions)*..

SHRI N. E. BALARAM: He is again talking about letters.

MR. CHAIRMAN: Let the Minister answer the question.

SHRI N. E. BALARAM: He is reading letters after letters. Here is a serious case. But he is reading so many letters.

MR. CHAIRMAN: Let the Minister answer the question.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Chowdhry Hari Singh wrote to me in the month of September. I forwarded that letter from my Ministry to the Chairman, Air India, to take action. That is why, after that, subsequently, as I have already said, the Department or the Management had held two or three meetings with the Association. As I have already said, the Chairman and Managing Director of Air India is already going into the question whether this case is fit for that. Meanwhile, as I have already said, this case is also pending before the Sahar police. Let the police also come to some conclusion and let the Management also come to some conclusion. Then I will come back to the House.

MR. CHAIRMAN: Mr. Jogi. *(Interruption).*

श्री अजीत जोगी: माननीय सभापति, महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में केबिन क्रू एसोसिएशन ने जो डाइरेक्टिव इश्यू किया था उसको विस्तार से पढ़कर सुनाया है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा मंत्री जी से कि क्या इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति स्पष्ट करते हुए एस.सी., एस.टी. एसोसिएशन के सेक्रेट्री ने-जिन अधिकारी के विषय में यह डाइरेक्टिव इश्यू किया गया है-एक शिकायत की है और यह कहा है कि उनको "चमार" शब्द का प्रयोग करके, उनके प्रति घृणापूर्वक बर्ताव किया गया है और यह कहा गया कि चमार होने के कारण हम आपके साथ कार्य नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसी शिकायत की गयी है तो आपने एक पक्ष की शिकायत पढ़ी है, दूसरे पक्ष की भी शिकायत पढ़कर सुनायें। इसी सप्लीमेंट्री का "ब" है। इस घटना को हुए आठ माह व्यतीत हो गये हैं। मैनेजमेंट इसकी जांच कर रहा है। यह एक बहुत ही गम्भीर घटना है क्योंकि बहिष्कार जैसी बात गांवों तक सीमित रहती है वह एयर इंडिया जैसी संस्था में जिसमें केवल शिक्षित लोग हैं, देश के सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोग हैं, उसमें हुई है। उन लोगों ने बहिष्कार की बात की है तो क्या वे कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे कि इतनी समय सीमा के अंतर्गत यह जांच पूरी हो जाएगी और तब सदन को बतलाएंगे कि इनमें से कौन सही था, केबिन क्रू वाले या एस.सी., एस.टी. वाले?

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि एक्शन वह लिया जाएगा जो केबिन क्रू आफिस बियरर्स ने अपनी डायरेक्टिव में लिखा है। अब गली-कूचे में कौन किसको क्या गाली देता है, उसके आधार पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो रिटन में डायरेक्टिव में लिखा है अपने कर्मचारियों को उस पर एक्शन होगा। इसलिए डायरेक्टिव को मैंने ऊपर-से-नीचे तक पढ़ा है और उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इसमें उन पर कुछ आरोप लगाए हैं और उन आरोपों के आधार पर उन्होंने लिखा है कि क्योंकि वह उनकी बात सुनते नहीं, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम उनके साथ आफिसियली कोई बातचीत नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)... डायरेक्टिव में जो लिखित में है, उस पर एक्शन लिया जाएगा या किसी घर में कुछ हुआ, उस पर एक्शन लिया जाएगा।

श्री अजीत जोगी: आप कुछ समय-सीमा बताइए।

श्री गुलाम नबी आज़ाद: सर, यह काम सहार पुलिस के अंडर है और सहार पुलिस मेरे अंडर में नहीं आती है। मैं ज्यादा से ज्यादा वहां की सरकार को लिख सकता हूं कि वह कार्यवाही जल्दी करें।

SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I do not wish to take sides between Mr. Gangorde and the Association, but *prima facie,* by reading the letter of the Association, it appears that Mr. Gangorde is wrong. However, Sir, one does not want to go into it. Incidents like this are symptoms of a deep malady which has not been cured despite the complexities and multiplicities of law in the Statute Book. One of the best ways of curing this malady is that you have to put the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in positions of authority, dignity and honour. Sir, the Tourism and Civil Aviation Committee has unanimously recommended that in the new Board, one member at least should belong to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I find that that proposal has been deliberately dropped and the Bill has been introduced without that recommendation having been accepted. Will the hon. Minister inform this House why that wholesome recommendation has been dropped?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Sir, we have already one member of the Scheduled Caste in the Air India Board and that position would continue both in Air India and Indian Airlines. *(Interruptions).*

SHRI RAM JETHMALANI: Why has it not been put in the statute? *(Interruptions).* The statute makes it compulsory. *(Interruptions).*

SHRI GHULAM NABI AZAD: Everything is not put in the statute. So far as the Bill of the Government is concerned, both in Indian Airlines and Air India, on the administrative level... *(Interruptions).*

SHRI RAMJETHMALANI: Why not at the legal level? *(Interruptions).* Why have you dropped it? *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: I will pass on to the next question. *(Interruptions)*

SHRI AJIT P. K. JOGI: Sir, the hon. Minister has not mentioned any time limit. You kindly let us know by when you will complete the enquiry. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: In addition to the police enquiry, have you anything else to assure the House? *(Interruptions)*

SHRI GHULAM NABIAZAD: Sir, the case is before the police. *(Interruptions)* Let the police come out with some report. I will write to the hon. Chief Minister of Maharashtra. *(Interruptions)* Suppose the management does anything then you will say that the management has taken time. So, the police is the best forum who will not take anybody's side. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: I have given so much time to this Question. Now Q. No. 43.

Non-utilisation of newly-build airports

*43.SHRIJ.P. JAVALI†:
SHRI SHIV PRATAP MISHRA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem which appeared in the Indian Express on 10th February, 1994 to the effect that 30 airports built at huge costs are lying unutilised and have been listed as useless;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Hubli Airport, built at a Cost of Rs. 3 crore is not being put to use and has also been termed as "useless"; and

(d) what are the details of annual maintenance expenditure of these defunct airports and who is made to pay the same?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) A list of unused airports is enclosed, (see below).

(c) National Airports Authority (NAA) has not incurred any expenditure on the construction of Hubli Airport. The land alongwith infrastructure'were transferred free of cost by the State Government to NAA. Yayudoot was operating (lights to and from Hubli till January. 1990. It has not been able to resume operations due to non-availability of aircraft.

(d) NAA have kept an amount of Rs. 115.21 lakhs during the year 1993-94 for maintenance of these airports.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri J.P. Javali.

List of unused airports

Name of Airport	Period since unused
Andhra Pradesh	
1. Cuddapah	September, 1989
2. Donakonda	*Rarely used
3. Warangal	February, 1988
Arunachal Pradesh	
4. Passighat	November, 1990
Assam	
5. Rupsi	*Rarely used
6. Sheila	*Rerely used
Bihar	
7. Gaya	November, 1990
8. Jogbani	•Rarely used
9. Muzzafarpur	*Rarely used
10. Chakulia	'Rarely used
11. Raxaul	*Rarely used
Gujarat	
12. Deesa	August, 1991
Karnataka	
13. Hassan	*Rarely used
14. Mysore	September, 1989
Madhya Pradesh	
15. Bilaspur	November, 1990
16. Khaiidwa	August,1991
17. Panna	August, 1991
18. Satna	November, 1990
Maharashtra	
19. Akola	December, 1988
20. Sholapur	July, 1991
Orissa	
21. Jharsuguda	* Rarely used
Rajasthan	
22. Kota	November, 1990
Tamil Nadu	
23. Vellorc	*Rerely used
Tripura	
24. Kailashar	September, 1990
25. Kamalpur	September, 1990
26. Khowai	•Rarely used
Uttar Pradesh	
27. Jhansi	*Rarely used
28. Lalitpur	*Rarely used
West Bengal	
29. Balurghal	*Rarely used
30. Malda	*Rarely used

No. Commercial.operations have taken place. State Govt's aircraft could have operated from these airports.